A 80

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी : के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70/2015 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 28.12.2015
GCMS NO:-2015/00056

प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1-श्री बगतपुरी गोस्वामी निलम्बित क. लि. मुख्यालय रा. मा. वि. आसावरा निवासी नवलपुरा, पोस्ट ताणा तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2-सुश्री लीला कुमारी जाट बर्खास्त वि. मि. निवासी लोठियाना तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षीगण

कार्यवाहीः- अन्तर्गत पी. डी. आर. एक्ट 1952

उपस्थितिः- 1-श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ के लेखा अवधि 2005-06 से 03/2012 तक की विस्तृत जांच सहायक लेखाधिकारी आंतरिक जांच दल माध्यमिक शिक्षा (प्रथम), नागौर के स्तर पर की गई जिसमें विपक्षी श्री बगतपुरी गोस्वामी, कनिष्ठ लिपिक, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ द्वारा अवधि माह अगस्त, 2008 से माह जनवरी, 2012 में कार्यरत रहते हुए सह आरोपी सुश्री लीला जाट, बर्खास्त विद्यार्थी मित्र के साथ मिलकर सामान्य प्रावधायी निधि आदि से फर्जी बिलों के माध्यम से राशि आहरण कर कुल राशि 43,43,752.30/- रूपये (अक्षरे तैयांलिस लाख तैयांलिस हजार सात सौ बावन रूपये व तीस पैसा/-) का गबन किया गया। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अनियमितताऐं कर राजकीय राशि का दुरूपयोग एवं गबन किया है जो विपक्षीगण के जिम्मे बकाया होने तथा विपक्षीगण द्वारा यह राशि जमा नहीं कराने से पी. डी. आर के तहत राशि वसूली हेतु आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सुहालका ने तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक गर्ग ने अधिकार पत्र एवं प्राथमिक आपत्तियां पेश की। दिनांक 08.11.2016 को विपक्षी संख्या 2 एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पुनः दिनांक 28.03.2017 को विपक्षी संख्या 02 के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही दो तरफा की गई। दिनांक 17.07.2018 को विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्तागण पुनः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उन्हें न्यायहित में अवसर देते हुए प्राथमिक आपत्तियों पर बहस सुन गुणावगुण पर प्राथमिक आपत्तियां सारहीन होने से खारिज की गई। विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्तागण को न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद श्री विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्तागण के दिनांक 16.07.2019 के पश्चात् न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 15.10.2019 को विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 श्री बगतपुरी गोस्वामी, निलम्बित कनिष्ठ लिपिक के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ में माह 08/2008 से 01/2012 तक कार्यरत रहते हुए विपक्षी संख्या 2 सह आरोपी सुश्री लीला जाट के साथ मिलकर विद्यालय में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों की अनदेखी में फर्जी बिलों के माध्यम से राशि का आहरण कर राजकीय राशि का दुरूपययोग एवं गबन किया जिसमें से राशि 12,29,855.56/- रूपये (अक्षरे बारह लाख उनतीस हजार आठ सौ पचपन रूपये व छप्पन पैसे) विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के खाते में अलग-अलग बिलों के माध्यम से जमा कराई गई तथा राशि 31,13,896.74/- रूपये (अक्षरे इकत्तीस लाख तेरह हजार आठ सौ छिंयानवे रूपये व चौहत्तर पैसे) अलग-अलग बिलों के माध्यम से आहरण कर स्वयं के द्वारा अपने खाते में जमा करा राजकीय राशि का दुरूपयोग एवं गबन किया है तथा विपक्षीगण द्वारा उक्त राशि काफी प्रयास करने के बावजूद भी जमा नहीं कराई गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षीगण द्वारा गबन की गई राजकीय राशि 43,43,752.30/- रूपये पी. डी. आर. एक्ट के तहत राशि मय ब्याज वसूली के आदेश फरमाये जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। जिसके

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ के लेखा अवधि 2005-06 से 03/2012 तक की विस्तृत जांच सहायक लेखाधिकारी आंतरिक जांच दल माध्यमिक शिक्षा (प्रथम), नागौर के स्तर पर की जाना निर्विवादित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री बगतपुरी गोस्वामी द्वारा वर्षवार जी. पी. एफ., अस्थाई आहरण, समर्पित वेतन, विद्यार्थी मित्र मानदेय एवं वेतन बिल एवं वेतन एरियर के अलग-अलग फर्जी बिल बनाकर वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 में अलग-अलग खातों में उक्त राशि जमा कराकर निम्नानुसार राशि का गबन किया है।

- श्री बगतपुरी गोस्वामी द्वारा गबन की गई आहरित राशि का जमा का विवरण जो खाता संख्या 61039916560 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भदेसर में जमा की गई :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	बैंक खाता संख्या	चैक संख्या व दिनांक	राशि	जमा दिनांक
1.	श्री बगतपुरी गोस्वामी क. लि.	61039916560	84212/ 06.07.09	227102.00	09.07.09
2.			684213/ 09.07.09	80300.00	13.07.09
3.			684214/ 09.07.09	128964.00	13.07.09
4.			427390/ 04.08.10	82838.46	10.05.10
5.			427635/ 17.06.10	19501.00	18.06.10
6.			427638/ 22.06.10	184512.00	22.06.10
7.			427642/ 23.06.10	48000.00	28.06.10
8.			383395/ 18.08.10	69566.68	19.08.10
9.			38406/ 20.09.10	40500.00	28.09.10
10.			499076	39500.00	02.11.11
11.			399625	84000.00	07.10.11
12.			499119	72000.00	05.11.11
13.			427555/ 30.05.10	40594.28	04.06.10
14.			योगः-	1117378.42	

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 70/2015 (र.वि.)
प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ बनाम श्री बगतपुरी निलम्बित क. लि. निवासी नवलपुरा वगैरा

➢ श्री बगतपुरी गोस्वामी द्वारा गबन की गई आहरित राशि का जमा का विवरण जो खाता संख्या 51042561106 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भदेसर में जमा की गई :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	बैंक खाता संख्या	चैक संख्या व दिनांक	राशि	जमा दिनांक
1.	श्री बगतपुरी गोस्वामी क. लि.	51042561106	684067/ 06.06.09	44937.00	09.06.09
2.			684128/ 23.06.09	52690.00	26.06.09
3.			684129/ 23.06.09	149212.00	26.06.09
4.			684366/ 11.08.09	43704.00	12.08.09
5.			684400/ 27.08.09	208839.00	26.08.09
6.			684624/ 08.10.09	26373.00	12.10.09
7.			684727/ 22.10.09	26400.00	28.10.09
8.			679810/ 05.11.09	60005.00	17.11.09
9.			630030/ 15.12.09	36658.00	17.12.09
10.			680192/ 07.01.10	81476.00	12.01.10
11.			680222/ 25.01.10	48255.00	25.01.10
12.			684244/ 02.02.10	20415.00	05.02.10
13.			680248/ 02.02.10	19939.00	03.02.10
14.			680333/ 17.02.10	25574.00	18.02.10
15			680379/ 04.03.10	43587.00	10.03.10
16.			680585/ 29.03.10	235491.00	26.03.10
17.			427230/ 08.04.10	21195.00	09.04.10
18.			727505/ 01.06.10	33702.00	02.06.10

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

A84

प्रकरण संख्या 70/2015 (रे.वि.)

प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ बनाम श्री बगतपुरी निलम्बित क. लि. निवासी नवलपुरा वगैरा

19.			427619/ 11.06.10	37697.28	11.06.10
20.			427296/ 21.04.10	51774.00	22.04.10
21.			384129/ 04.10.10	68066.68	06.10.10
22.			384208/ 11.10.10	38019.00	12.10.10
23.			384259/ 26.10.10	39839.00	29.10.10
24.			384435/05. 02.11	11745.00	04.11.10
25.			384478	60960.00	23.11.10
26.			384581/ 01.12.10	49764.00	03.12.10
27.			384690/ 15.12.10	75734.68	26.12.10
28.			413905/ 19.01.11	76094.68	15.01.11
29.			413906/ 11.11.11	72000.00	11.01.11
30.			414259/ 09.03.11	60000.00	09.09.11
31.			414382/ 17.03.11	23309.00	24.03.11
32.			414675/ 20.04.11	36000.00	29.04.11
33.			399619	43213.00	08.10.11
34.			398764	96000.00	13.05.11
35.			399304	84000.00	26.08.11
36.			399512	78000.00	22.09.11
37.			46/ 04.11.09	10850.00	11.11.09
38.			योगः-	2191518.32	

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 70/2015 (र.वि.)
प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ बनाम श्री बगतपुरी निलम्बित क. लि. निवासी नवलपुरा वगैरा

➢ श्री वगतपुरी गोस्वामी द्वारा गबन की गई आहरित राशि का जमा का विवरण जो विपक्षी संख्या 2 सुश्री लीला जाट के खाता संख्या 61031303936 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भदेसर में जमा कराई गई :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	बैंक खाता संख्या	चैक संख्या व दिनांक	राशि	जमा दिनांक
1.	लीला कुमारी जाट	61031303936	680287/ 10.02.10	41791.28	10.02.10
2.			680380/ 04.03.10	36502.00	04.03.10
3.			414085/ 08.02.11	60000.00	09.02.11
4.			414087/ 08.02.11	38943.28	12.02.11
5.			414203/ 01.03.11	69000.00	20.04.11
6.			414303/ 09.03.11	28819.00	16.03.11
7.			414448/ 29.03.11	78000.00	31.03.11
8.			414260/ 09.03.11	49800.00	16.03.11
9.			योगः-	402855.56	

➢ श्री वगतपुरी गोस्वामी द्वारा गबन की गई आहरित राशि का जमा का विवरण जो विपक्षी संख्या 2 सुश्री लीला जाट के खाता संख्या 51073239818 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भदेसर में जमा कराई गई :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	बैंक खाता संख्या	चैक संख्या व दिनांक	राशि	जमा दिनांक
1.	लीला कुमारी जाट	51073239818	414609/ 11.04.11	69000.00	20.04.11
2.			414676/ 20.04.10	78000.00	27.04.11
3.			499069	84000.00	29.10.11
4.			499070	60000.00	25.10.11
5.			499118	96000.00	05.11.11
6.			399626	78000.00	08.10.11
7.			399303	78000	30.08.11
8.			399884	84000.00	03.06.11
9.			योगः-	627000.00	

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 सुश्री लीला कुमारी जाट के खाता संख्या 61031303936 में अलग-अलग फर्जी बिलों के माध्यम से राशि 4,02,855.56/- रुपये तथा खाता संख्या 51073239818 में राशि 6,27,000.00/- रुपये इस प्रकार दोनों खातों मे कुल राशि 10,29,855.56/- रुपये एवं अपने खाता संख्या 51042561106 में अलग-अलग फर्जी बिलों के माध्यम से राशि 2191518.32/- रुपये तथा खाता संख्या 61039916560 में राशि 1117378.42/- रुपये दोनों खातों में कुल राशि 33,08,896.74/- आहरण कर जमा कराना सिद्ध पाया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र कोष की राशि से 5000/- रुपये की राशि के बर्तन खरीद कर उक्त राशि वापिस जमा न कराने से उक्त 5000/-रुपये की राशि भी विपक्षी संख्या 1 से वसूली योग्य है।

उपरोक्त गबन की राशि में से 10,29,855.56/- रुपये इस विद्यालय में कार्यरत विद्यार्थी मित्र विपक्षी संख्या 2 सुश्री लीला कुमारी जाट के दो खातों मे भी जमा हुई है इससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी मित्र सुश्री लीला कुमारी जाट भी गबन राशि की लाभान्वित रही है एवं उक्त गबन की जानकारी उनके द्वारा संस्था प्रधान एवं उच्चाधिकारियों को न देकर गबन में सहयोगी रही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा जी. पी. एफ., अस्थाई आहरण, समर्पित वेतन, विद्यार्थी मित्र मानदेय एवं वेतन बिल एवं वेतन एरियर के अलग-अलग फर्जी बिल बनाकर 67 फर्जी बिलों के माध्यम से राशि 43,38,752.30/- रुपये की राजकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन करने की पुष्टि होती है इसके अतिरिक्त छात्र कोष की राशि 5000/- रुपये से बर्तन क्रय कर उक्त राशि पुनः जमा नहीं कराकर उक्त राशि अपने खाते में जमा कराने से कुल गबन राशि 43,43,752.30/- रुपये विपक्षीगण से वसूली योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आवेदन में अंकित विभाग की बकाया राशि 43,43,752.30/- रुपये में से राशि 33,13,896.74/- रुपये विपक्षी संख्या 1 से तथा राशि 10,29,855.56/- रुपये विपक्षी संख्या 2 से मय 13 प्रतिशत ब्याज तथा नियमानुसार 10 प्रतिशत कोस्ट राशि विपक्षीगण से वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त राशि की वसूली हेतु तहसीलदार, भूपालसागर एवं तहसीलदार, डूंगला को मांगपत्र प्रेषित किया जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A 87

FORM N0.2
Certificate of Public Demand
(See Section.4)
Office of The Collector, Chittorgarh

No.of Certificate	Name and address of authority sending requisition	Name and address of defaulter	Amount of public demand including interest if any for whit this certificate singed and periord of with such demand is due	Further particulasr of public demand for wich this certificate is singed
70/2015 रेवेन्यू विविध	प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़, जिला चित्तौड़गढ़	श्री बगतपुरी गोस्वामी, निलम्बित क. लि. निवासी नवलपुरा, पोस्ट ताणा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़	रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ में वित्तीय वर्ष 05-06 से मार्च, 2012 तक की विस्तृत आंतरिक जांच में अवधि माह अगस्त, 2008 से माह जनवरी, 2012 तक, कूटरचित दस्तावेजों एवं फर्जी बिलों से राशि आहरण कर राजकीय राशि का गबन करने से वसूली योग्य राशि 33,13,896.74/-	नियमानुसार ब्याज व कोरट

I here by certify that the above-mentioned sum of Rs. 3313896.74/- is Due from the above named.

I further certified that the above mentioned sum of Rs. 3313896.74/- is justly recoverable and that its recovery by suit is not barred by law

Dated this 15th day of September, 2020

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

A 85

FORM N0.2
Certificate of Public Demand
(See Section.4)
Office of The Collector, Chittorgarh

No.of Certificate	Name and address of authority · sending requisition	Name and address of defaulter	Amount of public demand including interest if any for whit this certificate singed and periord of with such demand is due	Further particulasr of public demand for wich this certificate is singed
70/2015 रेवेन्यू विविध	प्रधानाचार्य, रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़, जिला चित्तौड़गढ़	सुश्री लीला कुमारी जाट, बर्खास्त वि. मि. निवासी लोठियाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़	रा. उ. मा. वि. नाहरगढ़ में वित्तीय वर्ष 05-06 से मार्च, 2012 तक की विस्तृत आंतरिक जांच में अवधि माह अगस्त, 2008 से माह जनवरी, 2012 तक, श्री बगतपुरी गोस्वामी निलम्बित, क. लि. द्वारा कूटरचित दस्तावेजों एवं फर्जी बिलों से राशि आहरण कर राजकीय राशि का गबन करने में उसका सहयोग करने तथा स्वयं के खाते में राशि जमा करवाने से वसूली योग्य राशि 10,29,855.56/-	नियमानुसार ब्याज व कोस्ट

I here by certify that the above-mentioned sum of Rs. 1029855.56/- is Due from the above named.

I further certified that the above mentioned sum of Rs. 1029855.56/- is justly recoverable and that its recovery by suit is not barred by law

Dated this 15th day of September, 2020

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़